[2018] 3 एस. सी. आर 355

सीमा सिंह

वी.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर.

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 569)

अप्रैल 18,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

जमानत-अनुदान-जब उचित ठहराया गया-अपीलार्थी की बेटी ने प्रतिवादी नं. 2 लेकिन इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 के परिवार के सदस्यों द्वारा विवाह की सामाजिक अस्वीकृति के कारण अपीलार्थी के स्थान पर रहने के लिए चला गया-इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी पत्नी के साथ नई दिल्ली/लेह की यात्रा की योजना बनाई, जिसकी उनकी यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई क्योंकि जिस कार में वे यात्रा कर रहे थे वह कथित रूप से एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी-अपीलार्थी यू/एस द्वारा दर्ज प्राथमिकी। 498 - ए, 302 और 120 बी आई. पी. सी.-राज्य सरकार ने मामले को सी. बी. आई. को स्थानांतरित कर दिया -

उत्तरदाता नं. 2 गिरफ्तार किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः इसमें कोई संदेह नहीं है, वह अपराध जिसके साथ प्रतिवादी नहीं। 2 हालाँकि, आरोप लगाया गया है तो यह एक गंभीर बात है कि अपने आप में जमानत के लाभ को पूरी तरह से अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है यदि जमानत देने को उचित ठहराने वाली अन्य भारी परिस्थितियाँ हैं-यह विवादित नहीं है कि घटना के बाद, अपीलार्थी, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ कुछ डॉक्टर जो परिवार के करीबी थे, आ गए थे और उनका पोस्टमार्टम किया गया था। उनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया लेकिन किसी को कोई संदेह नहीं हुआ घटना के नौ दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई-इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए सी. आर. आर. आई., एम्स, सी. एफ. एस. एल. और आई. आई. टी. की रिपोर्टों के साक्ष्य मूल्य का परीक्षण किया जाना बाकी है, विशेष रूप से, जब ये रिपोर्ट घटना के बहुत बाद किए गए अध्ययनों के आधार पर दी जाती हैं-आक्षेपित

आदेश एक बोलने वाला आदेश है-प्रत्यर्थी को जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण। 2 , विकृत नहीं कहा जा सकता है

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 498 - ए, 302 और 120।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1.1 सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए

जमानत देने वाले आदेश में हस्तक्षेप और उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिन पर इस तरह के आदेश को रोका जा सकता है, कारण

उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत देने के लिए दिए गए आदेश को विकृत नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक को ध्यान में रखा

संदेह है कि अपीलकर्ताओं ने व्यापक रूप से सी. आर. आर. आई., एम्स, सी. एफ. एस. एल. और आई. आई. टी. की रिपोर्टों का उल्लेख किया है। उनके साक्ष्य मूल्य का परीक्षण किया जाना बाकी है, विशेष रूप से, जब ये रिपोर्ट घटना के बहुत बाद किए गए अध्ययनों के आधार पर दी जाती हैं। एम्स की रिपोर्ट तस्वीरों पर आधारित है न कि मृतक के शव के पोस्टमॉर्टम के आधार पर। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रस्तुत किया है कि एम्स ने कोई निर्णायक राय नहीं दी है। उनके अनुसार, अन्य रिपोर्टों के बारे में भी यही स्थिति है। इन रिपोर्टों की इस स्तर पर गहराई से जांच नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह अभ्यास निचली अदालत द्वारा किया जाना चाहिए जब ये रिपोर्ट रिपोर्ट बनाने वालों द्वारा साबित की जाती हैं और फिर उनकी प्रतिपरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, एक आपराधिक मामले में जहां प्रतिवादी संख्या 2 पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का बोझ है कि, उचित संदेह से परे, कि अपीलार्थी की बेटी की मृत्यु एक हत्या का परिणाम थी और यह कि यह प्रतिवादी संख्या 2 है जिसने उक्त हत्या को अंजाम दिया था। कथित दुर्घटना के बारे में उनका बचाव केवल उन कारकों में से एक है जिन पर गौर किया जाएगा कि क्या ऐसी कहानी सामने आई है। उसके द्वारा आगे सही है या नहीं और उसका प्रभाव। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देते समय प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है। विवादित आदेश भी एक है

कारणों के साथ बोलने का क्रम। [पारस 13,14] [370-जी-एच; 371-ए, ई-जी]

1.2 यह विवादित नहीं था कि घटना के बाद, अपीलार्थी, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ कुछ डॉक्टर जो उनके करीबी थे

परिवार आ गया था। उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया गया। उस समय किसी को कोई संदेह नहीं था। घटना के नौ दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एकत्र की गई सामग्री सी. बी. आई. द्वारा जाँच के दौरान वृत्तचित्र प्रकृति का होता है जो उनके सामने पेश की गई तस्वीरों के आधार पर दिया जाता है और मुकदमे के दौरान इसका परीक्षण किया जाता है। [पैरा 15] [372-जी-एच]

नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. (2016)

15 एससीसी 422: [2015] 10 एस. सी. आर. 802; प्रशांत कुमार

सरकार बनाम. आशीष चटर्जी और अन्र। (2010) 14 एससीसी 496:

[2010] 12 एस. सी. आर. 1165-लागू नहीं होता है।

सीमा सिंह बनाम। केंद्रीय अन्वेषण और

एएनआर।

दाताराम सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. (2018)

3 एस. सी. सी. 22-पर निर्भर।

टोमासो ब्रूनो और एनर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 178: [2015] 1 एस. सी. आर. 721; सिद्धराम सतलिंगप्पा क्षेत्र बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2011) 1 एससीसी

694 [2010] 15 एस. सी. आर. 201-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 10 एससीआर 802

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 11

[2010] 12 एससीआर 1165

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 11

[2015] 1 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2010] 15 एससीआर 201

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2018) 3 एससीसी 22

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

569 2018 से।

उच्च न्यायालय के 09.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक विसंगतियों में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 2017 का जमानत आवेदन संख्या 4652

के साथ

सीआरएल। 2018 का ए. सं. 570।

मनिंदर सिंह, एएसजी, राणा मुखर्जी, मनन कुमार मिश्रा,

सीनियर एड. , प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, प्रणव सचदेवा, सुश्री सुषमा मनचंदा, राजेश सिंह चौहान, सुश्री डेज़ी हन्ना, सुश्री कस्तूरिका कौमुदी, सुश्री श्रेओशी चटर्जी, सुश्री एकता प्रधान, मुकेश कुमार मारोरिया, साई गिरधर, सुश्री अंजुल द्विवेदी, अंजनी कुमार मिश्रा, प्रकाश गौतम, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

ए. के. सिकरी, जे. 1. 2017 की डायरी संख्या 26339 में देरी को माफ कर दिया गया। 2. छुट्टी दे दी गई।

3. विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न आपराधिक अपील में

(सीआरएल.) 2017 का सं. 5611, अपीलार्थी, जिसकी शिकायत पर प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ धारा 498-ए, 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

और 120-बी आई. पी. सी. ने [2018] 3 एस. सी. आर. द्वारा पारित 09 मार्च, 2017 के आदेश को चुनौती दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर बढ़ा दिया गया है:

" (क) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ख) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

(ग) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

(घ) आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए वह अभियुक्त है, या उस अपराध के लिए संदिग्ध है, जिसके लिए उसे संदेह है।

(ई) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करेगा।

मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा करना ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी के भी चूक के मामले में, यह विरोधी पक्ष के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए खुला होगा जमानत रद्द करने के लिए चिंतित।

तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर यदि संभव हो तो एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर सख्ती से निर्णय लिया जाए।

309 <आई. डी. 1. और सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले में निर्धारित किया गया है विनोद कुमार बनाम। पंजाब राज्य; 2015 (3) एस. सी. सी. 220 यदि कोई नहीं है

कानूनी बाधा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले में गवाह पेश नहीं हो रहे हैं

संबंधित न्यायालय के समक्ष संबंधित न्यायालय को इसके अनुसार आवश्यक दंडात्मक उपाय करने की स्वतंत्रता दी जा रही है - गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून।

उपरोक्त शर्तों के अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक संबंधित अदालत के समक्ष अपनी रिहाई की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना पासपोर्ट सौंप देगा और जांच के साथ सहयोग करेगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक खुद को संबंधित अदालत के समक्ष पेश करेगा।

प्रत्येक तिथि पर और किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेंगे

किसी भी मामले में और किसी भी स्थगन की मांग की जाती है

असाधारण परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय सीमा सिंह बनाम को निर्दिष्ट करेगा।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

इस तरह के स्थगन को मंजूरी देते समय आदेश में ही कारण। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पते में कोई बदलाव होता है, तो संबंधित एस. एस. पी. और न्यायालय को तुरंत सूचित किया जाएगा।

विद्वान सलाहकार को भी स्वतंत्रता दी जा रही है

शिकायतकर्ता संबंधित अदालत के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन दायर करे, यदि आवेदक की ओर से उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन होता है।

4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा उसी राहत के लिए दूसरी अपील की जाती है जिससे सी. बी. आई. भी व्यथित महसूस करती है।

प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देने का आदेश, जो उपरोक्त मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है।

मामला। 5. प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आरोप की गंभीरता यह है कि उसने अपनी पत्नी श्रीमती की हत्या कर दी है। सारा सिंह। में लगाए गए आरोप

प्रतिवादी संख्या 2 के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी शादी। वह अपनी माँ के घर पर रहती थी जब अचानक उत्तरदाता नंबर 2 शुरू हुआ अपनी पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए और जुलाई, 2015 में उसके साथ नई दिल्ली/लेह की यात्रा की योजना बनाई। अपनी यात्रा के दौरान, मारुति स्विफ्ट कार कथित तौर पर 9 जुलाई, 2015 को फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गई। यह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मृतक से छुटकारा पाने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश थी और बाद में 18 जुलाई, 2015 को अपीलार्थी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो मृतक की मां है। नतीजतन 2015 का मामला अपराध संख्या 387 आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 302 और 120-बी, पुलिस स्टेशन सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के तहत दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 को जारी अधिसूचना के माध्यम से मामले को सी. बी. आई. को स्थानांतरित कर दिया और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 14 अक्टूबर, 2015 को एक और अधिसूचना जारी की गई। उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसरण में, सी. बी. आई. ने नं. आर. सी. सं. 6 (एस)/2015/एस. सी. यू. वी./एस. सी. आई. आई. दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 और तदनुसार सी. बी. आई. ने 19 अक्टूबर, 2015 को उपरोक्त मामले की जांच शुरू की। इसके बाद, सी. बी. आई. द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 2 को 25 नवंबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 2 ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, गाजियाबाद के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर की, जिसे 15 दिसंबर, 2016 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से आवेदन खारिज कर दिया गया था। अंततः इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई जिसे 09 मार्च, 2017 के विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है और जमानत दी गई है।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद यह दिखाने के लिए कि उक्त दुर्घटना में सारा सिंह की मृत्यु हो गई, उक्त दुर्घटना का प्रबंधन किया। 7. प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, जब 9 जुलाई, 2015 को उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसे उनके द्वारा चलाया जा रहा था और उनकी पत्नी सारा सिंह भी उसमें बैठी थीं, तो वह बुरी तरह से घायल हो गईं और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो उनकी मृत्यु हो गई और जिला अस्पताल, फिरोजाबाद द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण था। इसके बाद सारा सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि,

18 जुलाई, 2015 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी

और आरोप लगाया कि सारा सिंह की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच सी. बी. आई. को हस्तांतरित किए जाने के बाद, सी. बी. आई. ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी. आर. आर. आई.) से रिपोर्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सी. एफ. एस. एल.), नई दिल्ली के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) से रिपोर्ट प्राप्त की है। इन रिपोर्टों और आगे की जांच के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया था

और फिरोज़ाबाद की सी. बी. आई. अदालत में पेश किया।

8. प्रतिवादी संख्या 2 को 25 नवंबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था और

9 मार्च, 2017 को जमानत दी गई थी। इस प्रकार, वह साढ़े तीन महीने तक हिरासत में रहे। 9. उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपनी याचिका के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्थापित मामला यह था कि आरोपी और उसकी पत्नी ने एक

लेह की यात्रा की और जब वे फिरोजाबाद पहुंचे, तो अभियुक्तों ने पाया कि एक छोटी स्कूली लड़की दूसरी तरफ से अपनी साइकिल पर आ रही थी। में।

उसे बचाने के लिए, आरोपी को अपने वाहन पर अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिसे तेज गति से चलाया जा रहा था और स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कार नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के किनारे एक खाई में गिर गई। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी फिसल गई और पलट गई। यह भी दलील दी गई कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और कोई सबूत नहीं था सीमा सिंह बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

जो भी सी. बी. आई. द्वारा निर्धारित भूमिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 की भागीदारी को दिखा सकता है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए सी. आर. आर. आई., एम्स, सी. एफ. एस. एल. और आई. आई. टी. की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इन रिपोर्टों के आधार पर, यह तर्क दिया गया कि यह दिखाने के लिए स्पष्ट सबूत थे कि यह एक दुर्घटना नहीं थी जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वर्णित किया गया था और इसलिए, यह एक पूर्व नियोजित हत्या का परिणाम था। एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि सारा सिंह का शुरू में गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसके बाद अपराध स्थल बनाया गया था जिसमें दुर्घटना चरम बिंदु बन गई थी। यह भी था

इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है।

10. उच्च न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि प्रतिवादी संख्या 2 मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत का हकदार था, इसके साथ निम्नलिखित कारकों को जोड़ा गयाः

(क) पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी।

(ख) कथित दुर्घटना के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने मृतक के परिवार के सदस्यों को इसके बारे में सूचित किया था। प्राप्त करने पर इस सूचना पर मृतक की मां पहुंची और पोस्टमार्टम कराया।

उनकी और परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में किया गया था। उस समय मृतक के परिवार के करीबी और जाने-माने कुछ डॉक्टर भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पोस्टमार्टम से पहले शव की कुछ तस्वीरें ली थीं। उस समय, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने वीडियो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई। पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। संदेह होने पर उन्होंने दूसरे पोस्टमॉर्टम की भी मांग नहीं की।

(ग) जहां तक एम्स की रिपोर्ट का संबंध है, यह पूरी तरह से उन तस्वीरों पर आधारित है जो डॉक्टरों के पैनल को प्रदान की गई थीं और इस प्रकार, डॉक्टरों ने मृतक के शरीर का कभी कोई पोस्टमॉर्टम नहीं किया।

(घ) ऐसा कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जो यह दिखा सके कि लड़की को या तो रास्ते में प्रताड़ित किया गया था या धमकी दी गई थी या वह घायल हो गई थी। इस संबंध में अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं लेकिन बिना किसी सहायक दस्तावेज के।

(ई) जाँचक बाद, सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल कयल गेल छल। आरोप-पत्र का मुख्य सार केवल दस्तावेजी साक्ष्य है और

कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य पहले से ही सी. बी. आई. के पास उपलब्ध है। इसलिए, प्रत्यर्थी की कोई संभावित आशंका नहीं है

नंबर 2 या तो जाँच में बाधा डालना या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या जमानत पर रिहा होने की स्थिति में किसी को धमकी देना।

(च) अभियुक्त के फरार होने की भी कोई संभावना नहीं है।

11. श्री प्रशांत भूषण, जिन्होंने की ओर से तर्क दिया

शिकायतकर्ता, और श्री मनिंदर सिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने सी. बी. आई. की ओर से तर्क दिया, ने विशेषज्ञ निकायों, अर्थात् सी. आर. आर. आई., एम्स, सी. एफ. एस. एल. और आई. आई. टी. की उपरोक्त रिपोर्टों को विस्तार से पढ़ा। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि सी. आर. आर. आई. की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कार की स्थिति और दुर्घटना स्थल को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वर्णित ऐसी किसी भी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार, यह अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत एक काल्पनिक कहानी थी। इन से

एम्स के डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह बताया गया था कि मृत्यु का कारण गर्दन पर लिगचर द्वारा घातक दबाव था और इससे संकेत मिलता है कि सारा सिंह की दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि आरोपी द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह सी. एफ. एस. एल. और आई. आई. टी. की रिपोर्टों को अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए उपरोक्त मामले का समर्थन करने के लिए पढ़ा गया, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अनुमानित कथित दुर्घटना नहीं हो सकती थी।

ऐसा हुआ और इसलिए, वह एक झूठा मामला बना रहे थे कि सारा सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्थापित बचाव पक्ष झूठा था क्योंकि दोनों कथित घटना के समय उक्त कार में बैठे थे और यह कैसे संभव था कि जहां तक एक यात्री (अर्थात्, सारा सिंह) का संबंध है, उसकी मृत्यु हो गई और

अन्य (अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 2) को मामूली चोटें भी नहीं आईं। इस प्रकार, यह दलील दी गई कि जब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि

आरोप-पत्र झूठा था और यह भी रिकॉर्ड में आया है कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से है, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। श्री भूषण ने अपने इस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का भी उल्लेख किया कि यह जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला थाः

(i) नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य & Anr.[1]

" 15. कानून की यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है वह समानता का सिद्धांत है। अपराधों की प्रकृति में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर, जिसे हमने ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है, छोटे अपराध नहीं हैं ताकि उसे हिरासत में नहीं रखा जा सके, लेकिन अपराध जघन्य प्रकृति के हैं और ऐसे अपराधों को, किसी भी तरह की कल्पना के बिना, जेजुन माना जा सकता है। इस तरह के मामले गरज और बिजली पैदा करते हैं जो मूसलाधार बारिश के प्रभाव की क्षमता रखते हैं।

1 1 (2016) 15 एस. सी. सी. 422 ए सिंह बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

एक विश्लेषणात्मक दिमाग में बारिश। कानून न्यायपालिका से उम्मीद करता है कि

इस तरह के अभियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार करते समय सतर्क रहें

बड़ा और इसलिए, विवेक के प्रयोग पर जोर दिया जाता है

विवेकपूर्ण तरीके से और सनकी तरीके से नहीं।

XXX

XXX

XXX

18. मामला छोड़ने से पहले, हम लाभ के साथ दोहरा सकते हैं

कि यह रद्द करने के रूप में जमानत रद्द करने की अपील नहीं है

पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण इसकी मांग नहीं की जाती है। द.

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है

कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है

जिसमें अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि शामिल है और

यह आदेश को विचलित कर देता है। इसलिए, अपरिहार्य

परिणाम यह है कि आक्षेपित क्रम [बुधपाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 14815] "।

) प्रशांत कुमार सरकार बनाम। आशीष चटर्जी & Anr.²

" 9. हमारी राय है कि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से है

अस्थिर। यह मामूली बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर ऐसा नहीं करता है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना या

अभियुक्त को जमानत देने से इनकार करना। हालांकि, यह समान रूप से अनिवार्य है उच्च न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के लिए,

सावधानीपूर्वक और सख्ती से बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, कारक जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए

ये हैंः

(i) क्या कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है

मान लीजिए कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ग) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; ((iv) रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा।

जमानत पर;

(v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति

अभियुक्त;

((vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;

(vii) गवाहों के होने की उचित आशंका

प्रभावित; और

((viii) निश्चित रूप से, न्याय के अनुदान द्वारा विफल होने का खतरा

जमानत।

[यू. पी. बनाम की स्थिति देखें। अमरमणि त्रिपाठी (एस. सी. सी. पृष्ठ 31, पैरा 18), प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम। एन. सी. टी. दिल्ली, और राम गोविंद उपाध्याय बनाम। सुदर्शल सिंह।]

10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों का विज्ञापन नहीं करता है और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करता है, तो उक्त आदेश विवेक के गैर-अनुप्रयोग के दुष्प्रभाव से ग्रस्त होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा। मसरूर में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ, जिसमें हममें से एक (डी. के. जैन, जे.) सदस्य थे, ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 290, पैरा 13)

मामले का, जो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, होना चाहिए टाल दिया गया, लेकिन इस तरह के क्रम में कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है

प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही थी

विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर एक गंभीर पद करने का आरोप लगाया जाता है। (महाराष्ट्र राज्य बनाम भी देखें। रितेश, पंचानन मिश्रा बनाम। दिगंबर मिश्रा, विजय कुमार बनाम। नरेंद्र और अनवरी बेगम बनाम। शेर मोहम्मद।)

11. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि तत्काल मामले में, जमानत देने के लिए अभियुक्त के आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए गए बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वर्तमान मामले में आरोपी पर आरोप है कि उसने एक असहाय वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया है। कथित घटना के समय उसे एक पड़ोसी द्वारा पीड़ित के घर से बाहर निकलते देखा गया था, जिससे एक उचित विश्वास पैदा हुआ कि उसने हत्या की थी। हम महसूस करते हैं कि दी गई परिस्थितियों में, यह मंच नहीं था जिसे संहिता की धारा 439 के तहत अभियुक्त को जमानत दी जानी चाहिए थी, विशेष रूप से तब जब आरोप भी अभी तक तय नहीं किए गए हैं। सीमा सिंह बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

12. श्री मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे।

अभियुक्त के लिए, उपरोक्त प्रस्तुतियों का दृढ़ता से खंडन किया। उन्होंने विशेषज्ञ निकायों की उन्हीं रिपोर्टों का उल्लेख किया और कहा कि इन रिपोर्टों को बारीकी से पढ़ने पर यह संकेत मिलेगा कि इनमें से किसी भी रिपोर्ट ने कोई अंतिम और निर्णायक राय नहीं दी है। उन्होंने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि ये रिपोर्ट मृतक की 'तस्वीरों' के पोस्टमॉर्टम पर आधारित थीं, न कि मृतक के शरीर के 'और इसलिए, किसी भी मामले में ज्यादा विश्वास नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने यह भी बताया कि जहां तक एम्स के डॉक्टरों की राय का सवाल है, मौत का कारण बताते हुए मेडिकल बोर्ड ने खुद आगाह किया था कि इस मामले में जांच के परिस्थितिजन्य साक्ष्य से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। उस आधार पर, उन्होंने अपनी दलीलों को दोहराया जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देने में अपने विवेक का सही उपयोग किया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक बार इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि यह विकृत है, अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा कियाः

(i) टोमासो ब्रूनो और एनर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य 3:

" 36. दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, एक्स. में-11, काफी हद तक अपघटन के संकेतों को छोड़कर कोई परिवर्तन नहीं थे। द.

दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोहराया गया है कि मौत का कारण "गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना" है। चिकित्सकीय राय के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि एक कठोर कुंद पदार्थ का उपयोग गला घोंटने के लिए किया गया था जिससे श्वासावरोध के कारण मृत्यु हो गई। हालांकि, कमरे से ऐसा कोई कठोर या कुंद पदार्थ नहीं मिला या जब्त नहीं किया गया। डॉक्टरों को आंतरिक चोटों के कोई शारीरिक संकेत नहीं मिले हैं। ऊतक में रक्त का कोई अतिरिक्त प्रसार या अंतर्निहित मांसपेशियों में कोई घाव।

37. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों पर विचार करते हुए, एक्स. टी. एस. केए-10 और केए 11 और पीडब्ल्यू 10 और 11 के साक्ष्य, हमारे विचार में, श्वासावरोध के कारण मृत्यु के कारण के रूप में उचित संदेह उत्पन्न होते हैं।

गला घोंटने का परिणाम। आइए हम मृतक फ्रांसेस्को मोंटिस के शरीर पर पाए गए घावों और गला घोंटने के लक्षणों पर विचार करें। मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार और

टॉक्सिकोलॉजी, 24 वीं संस्करण। 2011 , पी। 453 के लक्षण गला घोंटना निम्नानुसार बताया गया हैः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" (ख) श्वासावरोध के कारण उपस्थिति। चेहरा फूला हुआ है। और साइनोस किया गया, और पेटीची के साथ चिह्नित किया गया। आँखें हैं।

प्रमुख और खुला। कुछ मामलों में, वे बंद हो सकते हैं।

रंग, एक्स्ट्रावेसेशन के पैच दिखाना और कभी-कभी दाँतों से काटा गया। चोट लगने के प्रमाण हो सकते हैं

गर्दन के पीछे। हाथ आमतौर पर पकड़े जाते हैं। द.

मूत्र, मल और वीर्य द्रव का। ((ii) आंतरिक उपस्थिति। गर्दन और उसकी संरचनाएँ

मस्तिष्क और छाती को हटाने के बाद जाँच की जानी चाहिए

अंग, इस प्रकार रक्त को गर्दन से गर्दन तक जाने देता है

रक्त वाहिकाएँ। उप में रक्त का बहिर्वाह होता है।

लिगचर निशान या उंगली के निशान के नीचे त्वचीय ऊतक, साथ ही गर्दन की आसन्न मांसपेशियों में, जो हैं

आमतौर पर चीर दिया जाता है। कभी-कभी, घाव होता है

कैरोटिड धमनियों का आवरण, साथ ही उनके आंतरिक कोट भी

हाइड हड्डी का ऊपरी कॉर्नुआ भी टूट सकता है थायराइड उपास्थि लेकिन ग्रीवा कशेरुका का फ्रैक्चर है

बेहद दुर्लभ। इन्हें सावधानीपूर्वक विच्छेदित किया जाना चाहिए।

क्योंकि उन्हें विच्छेदन कलाकृतियों से अलग करना मुश्किल है

गर्दन में। "

(मूल में जोर)

XXX

XXX

XXX

) . अदालतें, आम तौर पर विशेषज्ञ साक्ष्य को एक के साथ देखती हैं

स्वीकार्यता की भावना, लेकिन यह समान रूप से सच है कि

यू. आर. टी. पूरी तरह से विशेषज्ञों की रिपोर्ट द्वारा निर्देशित नहीं हैं,

विशेष रूप से यदि ऐसी रिपोर्टें निष्पक्ष और अस्थिर हैं।

ई सहमत हैं कि एक विशेषज्ञ राय का उद्देश्य मुख्य रूप से है

न्यायालय को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट एम. ए. सिंह v.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

यह निर्णायक नहीं है। इस न्यायालय से इसका विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाती है

रिपोर्ट करें, इसे रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य के साथ पढ़ें

और फिर अपनी अंतिम राय बनाते हैं कि क्या ऐसी रिपोर्ट है निर्भरता के योग्य है या नहीं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, गंभीर संदेह

पोस्टमॉर्टम में बताई गई मृत्यु के कारण के बारे में

रिपोर्ट "।

((ii) सिद्धराम सतलिंगप्पा क्षेत्र बनाम। महाराष्ट्र राज्य

& Ors.4:

" 87. अभियुक्त के खिलाफ दायर शिकायत को पूरी तरह से दर्ज करने की आवश्यकता है। इस पहलू सहित जांच की गई कि क्या शिकायतकर्ता ने दायर किया है

पहले के अवसर पर झूठी या तुच्छ शिकायत। अदालत को करना चाहिए

इस तथ्य की भी जांच करें कि क्या दोनों के बीच कोई पारिवारिक विवाद है

स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है, उसके बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानून। यदि शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच मिलीभगत

जाँच अधिकारी स्थापित किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कानून के अनुसार जाँच अधिकारी।

उन वैध कारणों को दर्ज करना चाहिए जिनके कारण गिरफ्तारी हुई है केस डायरी में आरोपी। असाधारण मामलों में कारण हो सकते हैं

गिरफ्तारी के तुरंत बाद दर्ज किया जाए, ताकि व्यवहार करते समय

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का अदालत द्वारा उचित मूल्यांकन भी किया जा सकता है। 89. अदालतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सावधानीपूर्वक और सावधानी से काम लें

विशेष मामला। ऐसे मामलों में जहां न्यायालय विचाराधीन है यह देखते हुए कि आरोपी जांच में शामिल हो गया है और वह पूरी तरह से है

जाँच एजेंसी के साथ सहयोग करना और इसकी संभावना नहीं है फरार, उस स्थिति में, हिरासत में पूछताछ से बचा जाना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

115. जोगिंदर कुमार मामले [(1994) 4 एस. सी. सी. 260: 1994 एससीसी

(सी. आर. आई.) 1172] इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

3 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की छठी रिपोर्ट, जिसमें यह है -

उल्लेख किया कि भारत में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गुणवत्ता ने भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोतों में से एक के रूप में गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लेख किया है। पुलिस। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुल मिलाकर, लगभग 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां या तो अनावश्यक या अनुचित थीं और इस तरह की अनुचित पुलिस कार्रवाई जेलों के खर्च का 43.2% थी।

116. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत ही मूल्यवान मौलिक अधिकार है और इसमें तभी कटौती की जानी चाहिए जब यह अनिवार्य हो जाए।

मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ।

117. यदि राज्य निम्नलिखित सुझावों पर उचित रूप से विचार करता है।

तब अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नियमित रूप से कटौती करना आवश्यक नहीं हो सकता है। ये सुझाव केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैंः (1) अभियुक्त को जाँच में शामिल होने का निर्देश दें और केवल तभी जब अभियुक्त जाँच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करता है, तभी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है।

(2) या तो पासपोर्ट या ऐसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त करें, जैसे कि संपत्तियों के स्वामित्व विलेख या अभियुक्त की सावधि जमा रसीदें/शेयर प्रमाण पत्र। (3) अभियुक्त को बांड निष्पादित करने का निर्देश दें।

(4) अभियुक्त को कई व्यक्तियों की प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है जो अभियोजन पक्ष के अनुसार विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए आवश्यक हैं।

(5) अभियुक्त को यह वचन देने का निर्देश दिया जाए कि वह उस स्थान पर नहीं जाएगा जहाँ गवाह रहते हैं ताकि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या अन्यथा न्याय के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना से बचा जा सके।

(6) जाँच के दौरान बैंक खातों को छोटी अवधि के लिए फ्रीज कर दिया जाता है।

118. यदि गिरफ्तारी अनिवार्य है, तो मामले के तथ्यों के अनुसार, उस स्थिति में, गिरफ्तारी अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले आरोपी की गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से केस डायरी में दर्ज करना चाहिए, लेकिन असाधारण मामलों में जहां एम. ए. सिंह v.

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के तुरंत बाद बिना किसी नुकसान के केस डायरी में कारण दर्ज किए जाएं।

ताकि अदालत को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों के आलोक में जमानत देने या अस्वीकार करने के मामले पर उचित रूप से विचार करने का अवसर मिले।

119. सी. आर. पी. सी. की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक न्यायाधीश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य है और इसे कुछ अनुभव और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले न्यायिक अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए। अग्रिम जमानत आवेदनों में अदालतों द्वारा पारित आदेशों में व्यक्ति और समाज दोनों की महत्वपूर्ण रुचि होती है।

120. उच्च न्यायालयों के लिए अपनी न्यायिक अकादमियों के माध्यम से समय-समय पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करना अनिवार्य है।

न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार और व्याख्यान ताकि वे सामाजिक हितों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को ठीक से समझ सकें। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए।

121. न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन का समय-समय पर उनके द्वारा तय किए गए मामलों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मामले में,

वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं हुए हैं, उन्हें खामियों को इंगित किया जाना चाहिए और उन्हें भविष्य में सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जा सकता है। अंततः, जमानत देने या अस्वीकार करने का पूरा विवेकाधिकार न्यायिक अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमानत देने या अस्वीकार करने पर मूल रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाए।

122. हमारे सुविचारित विचार में, सिबिया मामले में संविधान पीठ [(1980) 2 एस. सी. सी. 565 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 465] ने

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अवधारणा के लगभग सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार किया गया। कम संख्या वाली पीठों वाले पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है, जहां न्यायालयों ने कहा है कि अग्रिम जमानत केवल सीमित अवधि की होनी चाहिए और आम तौर पर उस अवधि या मानक अवधि की समाप्ति पर, अग्रिम जमानत देने वाले न्यायालय को मामले से निपटने के लिए इसे नियमित अदालत पर छोड़ देना चाहिए। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से [2018] 3 एस. सी. आर. के विपरीत है।

123. सिबिया मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 565 में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की स्पष्ट घोषणा को ध्यान में रखते हुएः 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 465], अग्रिम जमानत के जीवन को सीमित करना उचित नहीं होगा। जब न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए है सीमित अवधि और उसके बाद अभियुक्त को जमानत के लिए नियमित अदालत में आवेदन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उस सीमित अवधि के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का जीवन समाप्त हो जाएगा। इस सीमा की परिकल्पना विधायिका द्वारा नहीं की गई है। सिबिया मामले में संविधान पीठ [(1980) 2 एस. सी. सी. 565: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 465] ने स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 438 सी. आर. पी. सी. को फिर से लिखना आवश्यक नहीं है।

124. सिबिया मामले में संविधान पीठ के फैसले का अनुपात [(1980) 2 एस. सी. सी. 565: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 465] शायद उनके प्रभुओं के ध्यान में नहीं लाया गया था जिन्होंने निर्णय लिया था सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम के मामले महाराष्ट्र राज्य

[(1996) 1 एससीसी 667: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 198], के. एल. वर्मा बनाम। राज्य [(1998) 9 एस. सी. सी. 328: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1031], आद्री धरण दास बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य [(2005) 4 एस. सी. सी. 303: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 933] और सुनीता देवी बनाम। बिहार राज्य [(2005) 1 एससीसी 608: 2005 एससीसी

(क्रि) 435] "।

13. हमने संबंधित तर्कों पर विचार-विमर्श किया है

मामले का रिकॉर्ड। चूँकि हम उच्च न्यायालय के उस आदेश से चिंतित हैं जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत दी गई है, इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश होने और उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिन पर इस तरह के आदेश को बाधित किया जा सकता है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा सीमा सिंह बनाम को जमानत देने के लिए दिए गए कारण।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

प्रत्यर्थी संख्या 2 को विकृत नहीं कहा जा सकता है। विवादित आदेश के पढ़ने से यह पता लगाया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर विचार करते समय प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस अपराध के लिए प्रतिवादी संख्या 2 पर आरोप लगाया गया है वह एक गंभीर अपराध है। कि अपने आप में नहीं हो सकता है

जमानत के लाभ को पूरी तरह से अस्वीकार करने का आधार यदि जमानत देने को उचित ठहराने वाली अन्य भारी परिस्थितियाँ हैं। उच्च न्यायालय ने उन कारकों पर चर्चा की है जो पैरा 9 में ऊपर दिए गए हैं। नहीं।

रिपोर्ट के निर्माताओं द्वारा और उनकी प्रतिपरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, एक आपराधिक मामले में जहां प्रतिवादी संख्या 2 पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का बोझ है कि सारा सिंह की मृत्यु एक हत्या का परिणाम थी और यह कि यह प्रतिवादी संख्या 2 है जिसने उक्त हत्या को अंजाम दिया था। बिनि। कथित दुर्घटना के बारे में बचाव केवल उन कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाएगा कि क्या उनके द्वारा दी गई ऐसी कहानी सही है या नहीं और इसका प्रभाव क्या है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस समय,

सीमित प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय जमानत देने के लिए अपने विवेक का सही उपयोग करता है।

14. हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देते समय प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है। विवादित आदेश भी एक बोलने वाला आदेश है जिसके कारणों को यह तय करते समय संक्षेप में दिए जाने की आवश्यकता है कि विचाराधीन जमानत का हकदार है या नहीं। इसलिए, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। हम दाताराम सिंह बनाम के मामले में 06 फरवरी, 2018 के हाल के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य और Anr.5 जिसमें इस न्यायालय ने (मदन बी. लोकुर, जे. के माध्यम से बोलते हुए) निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्दोषता की धारणा, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को माना जाता है दोषी पाए जाने तक निर्दोष होना। हालांकि, कुछ उदाहरण हैं

अन्य अपराधों का सम्मान। हमारा एक और महत्वपूर्ण पहलू आपराधिक न्यायशास्त्र यह है कि जमानत देना सामान्य नियम है।

और किसी व्यक्ति को जेल में या जेल में या सुधार गृह में डालना (जो भी अभिव्यक्ति कोई भी उपयोग करना चाहे) एक अपवाद है।

दुर्भाग्य से, इनमें से कुछ बुनियादी सिद्धांत प्रतीत होते हैं

इस परिणाम के साथ दृष्टि खो दी कि अधिक से अधिक लोग हो रहे हैं

हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र या हमारे समाज के लिए। 3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत देना या अस्वीकार करना पूरी तरह से

एक मामले पर विचार करने वाले न्यायाधीश का विवेकाधिकार लेकिन फिर भी, अभ्यास न्यायिक विवेकाधिकार को बड़ी संख्या में सीमित किया गया है

इस न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

देश। फिर भी, कभी-कभी आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि क्या

अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करना सही बात है। तथ्यों और किसी मामले की परिस्थितियों में।

XXX

XXX

XXX

7. लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जमानत मिलनी चाहिए। हर मामले में अनुमति दी जाए। जमानत देना या अस्वीकार करना पूरी तरह से

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के विवेक के भीतर और हालांकि

कि विवेकाधिकार निरंकुश है, इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और

मानवीय तरीके से और करुणा से। इसके लिए भी शर्तें

जमानत की मंजूरी इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि वह अक्षम हो अनुपालन, जिससे जमानत का अनुदान भ्रामक हो जाता है।

15. यह विवादित नहीं है कि उस घटना के बाद जिसमें सारा

एन की मृत्यु हो गई, मृतक की माँ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ

परिवार के करीबी डॉक्टर आ चुके थे। पोस्टमॉर्टम

उनकी उपस्थिति में आयोजित। उस समय, किसी ने भी किसी का पालन-पोषण नहीं किया था। घटना के नौ दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जाँच के दौरान सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री दस्तावेजी प्रकृति की है।

उनके सामने प्रस्तुत की गई तस्वीरों के आधार पर और उन्हें करना पड़ा

मुकदमे के दौरान स्टेड। जहाँ तक धमकी के आरोपों का संबंध है, यह सीमा सिंह बनाम।

केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

श्री मनन ने तर्क दिया कि पुलिस ने इसकी जांच की और ए को झूठा पाया। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है, यदि ऐसी कोई धमकी दी जाती है या प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के हित को भी ध्यान में रखते हुए जमानत की सख्त शर्तें लगाई हैं।

16. इसलिए, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो तदनुसार खारिज की जाती हैं।

दिव्या पांडे